

श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/प्रशि०निजी-09/2019...../श्र०सं० श्रीमती सुगंधा, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहियाँ, भोजपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 220A में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 30.04.2026 तक कुल 273 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त इनके अवकाश लेखा में दिनांक 01.05.2026 तक कुल 457 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रहेगा।

ह०/-

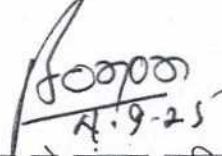
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी-09/2019.....62...../पटना-01, दिनांक-09/9/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/श्रीमती सुगंधा, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहियाँ, भोजपुर/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव